

I/452686/2024

संख्या-10/2023/361/019-01-KGY-2023-24

प्रेषक,

कल्याण बनर्जी,
संयुक्त सचिव,
30प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
स्थानीय निकाय निदेशालय,
30प्र0 लखनऊ।

नगर विकास अनुभाग-7

लखनऊ : दिनांक 30 जनवरी, 2024

विषय:- वित्तीय वर्ष 2023-24 में " कान्हा गौशाला एवं बेसहारा पशु आश्रय योजना" के अन्तर्गत विभिन्न नगर निकायों को पशु शेल्टर होम्स/गौशाला/कांजी हाउस में रखे गये आवारा/ बेसहारा पशुओं के चारे-भूसे की व्यवस्था हेतु वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयगत अवगत कराना है कि प्रदेश के नगर निकायों में कान्हा गौशाला/पशु शेल्टर होम्स का निर्माण कराये जाने हेतु "कान्हा गौशाला एवं बेसहारा पशु आश्रय योजना" के अन्तर्गत विभिन्न नगर निकायों में कान्हा गौशाला की स्थापना की गयी है। शासन द्वारा काजी हाउस/गौशाला/पशु शेल्टर होम्स में रखे गये आवारा/बेसहारा पशुओं के चारे-भूसे आदि की व्यवस्था किये जाने हेतु समय-समय पर निकायों को अनुदान दिया जाता है।

2. इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2023-24 में "कान्हा गौशाला एवं बेसहारा पशु आश्रय योजनान्तर्गत" उपलब्ध धनराशि में से निम्नलिखित 19 नगर निकायों में संचालित पशु शेल्टर होम्स/गौशाला में रखे गये आवारा/बेसहारा पशुओं के चारे भूसे आदि की व्यवस्था किये जाने हेतु उनके सम्मुख अंकित धनराशि के अनुसार कुल रु. 329.32 लाख (रु. तीन करोड़ उन्तीस लाख बत्तीस हजार मात्र) की धनराशि अवमुक्त किये जाने पर निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल महोदया सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं:-

क्र0 सं0	जनपद का नाम	निकाय का नाम	अवमुक्त की जा रही धनराशि (रु0 लाख में)
1	2	3	4
1-	सहारनपुर	नगर निगम, सहारनपुर	53.71
2-	लखीमपुर-खीरी	नगर पंचायत, बरवर	19.39
3-	आगरा	नगर पालिका परिषद, अछनेरा	16.83
4-	मुजफ्फरनगर	नगर पंचायत, शाहपुर	06.63
5-	बरेली	नगर पंचायत, धौराटोंडा	20.35
6-	बरेली	नगर पंचायत, ठिरिया निजावत खों	01.85

7-	बरेली	नगर पंचायत, सेंथल	01.94
8-	बरेली	नगर पंचायत, फतेहगंज (पं0)	03.71
9-	बदायूं	नगर पालिका परिषद, बिसौली	04.42
10-	बदायूं	नगर पंचायत, उसांवा	04.15
11-	जालौन	नगर पंचायत, रामपुरा	22.56
12-	मुजफ्फरनगर	नगर पंचायत, सिसौली	13.27
13-	लखीमपुर-खीरी	नगर पंचायत, धौरहरा	10.89
14-	लखीमपुर-खीरी	नगर पालिका परिषद, गोला गोकर्णनाथ	26.10
15-	लखीमपुर-खीरी	नगर पंचायत, निघासन	05.26
16-	गोरखपुर	नगर पंचायत, मुण्डेरा बाजार	03.42
17-	कानपुर देहात	नगर पंचायत, अमरौधा	14.16
18-	हरदोई	नगर पालिका परिषद, साण्डी	89.62
19-	गौतमबुद्धनगर	नगर पंचायत, जहाँगीरपुर	11.06
कुल योग			329.32

(रु. तीन करोड़ उन्तीस लाख बत्तीस हजार मात्र)

नियम व शर्तें / प्रतिबन्धों

- (1) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों, समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों में दिये गये निर्देशों के अन्तर्गत किया जायेगा।
- (2) प्रश्नगत स्वीकृत जिस कार्य/मद के लिए है उसी कार्य/मद पर व्यय प्रत्येक दशा में किया जायेगा।
- (3) उक्त शासनादेश में स्वीकृत कार्य के लिए राज्य सरकार अथवा किसी अन्य स्रोत से पूर्व में कोई धनराशि स्वीकृत की गयी है अथवा स्वीकृत कार्य किसी अन्य योजना में सम्मिलित है, तो सम्बन्धित नागर निकाय के अधिकारी का उत्तरदायित्व होगा कि वे शासन/निदेशक, नगरीय निकाय को तत्काल अवगत करायें।
- (4) सम्बन्धित नागर निकाय का यह दायित्व होगा कि कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियों एवं पर्यावरणीय क्लियरन्स सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही कार्य प्रारम्भ कराया जाय।
- (5) स्वीकृत धनराशि अनुमोदित कार्य पर ही व्यय की जायेगी तथा स्वीकृत धनराशि का व्यावर्तन किसी भी दशा में अन्य किसी कार्य में नहीं किया जायेगा। सामग्री/उपकरणों को क्रय वित्तीय नियमों के अनुसार किया जायेगा। स्वीकृत कार्य यदि किसी अन्य योजना में सम्मिलित है,

/482686/2024

तो प्रश्नगत धनराशि आपहरण करने से पूर्व समस्त अभिलेखों सहित तत्काल शासन को समर्पित कर दी जाय।

(6) वित्तीय मामलों से संबंधित विशिष्ट शर्तों का अनुपालन निकाय के वित्त नियंत्रक/मुख्य वरिष्ठ लेखाधिकारी/सहायक लेखाधिकारी अथवा लेखा का कार्य देखने वाला अन्य अधिकारी, जैसी भी स्थिति हो, सुनिश्चित करेंगे।

(7) इस योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2023-24 में स्वीकृत कुल धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन/निदेशालय/महालेखाकार को दिनांक 31.03.2024 तक उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करेंगे।

(8) अवमुक्त की जा रही धनराशि का व्यय करने के लिये पारदर्शी व्यवस्था सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण दायित्व निदेशक, नगरीय निकाय एवं सम्बन्धित नगर आयुक्त का होगा।

(9) व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययिता के संबंध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। इसके साथ ही राजकीय धन व्यय करने में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के प्रस्तर-12 में दी गयी शर्तों की पूर्ति तथा वित्तीय औचित्य के मानकों (स्टैंडर्ड्स ऑफ फाइनेन्शियल प्रोप्राइटी) का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(10) अवमुक्त की जा रही धनराशि के सापेक्ष व्यय की जा रही धनराशि का प्रत्येक 15 दिन पर निदेशक, नगरीय निकाय एवं सम्बन्धित नगर आयुक्त के द्वारा प्रभावी अनुश्रवण सुनिश्चित किया जायेगा।

(11) निदेशक, नगरीय निकाय द्वारा कान्हा गौशाला एवं बेसहारा पशु आश्रय योजना के अन्तर्गत पशुओं के भूसे-चारे आदि की व्यवस्था के लिये अवमुक्त की गयी उक्त धनराशि को निकायों के द्वारा योजना के अन्तर्गत राष्ट्रीयकृत बैंक में खोले गये बचत खाते में 07 दिनों के अन्दर नियमानुसार ई-पेमेन्ट के माध्यम से अन्तरित करायी जायेगी।

(12) निकायों को वित्तीय वर्ष 2023-24 के प्रथम 06 माह (अप्रैल, 2023 से सितम्बर, 2023 तक) के लिए अवमुक्त की गयी धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र निदेशक, स्थानीय निकाय निदेशालय को उपलब्ध कराये जाने के पश्चात् ही अवमुक्त की गयी धनराशि का उपभोग किया जायेगा।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 3,29,32,000 (रु. तीन करोड़ उन्तीस लाख बत्तीस हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या 037 लेखा शीर्षक 2070008000700 कान्हा गौशाला एवं बेसहारा पशु आश्रय योजना मानक मद 42 अन्य व्यय के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023, दिनांक-17-मार्च,2023 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

Digitally Signed by कल्याण
वनजी
Date: 30-01-2024 16:52:12

Reason: Approved

संयुक्त सचिव।

संख्या-10 /2023/361(I)/019-01-KGY-2023-24 , तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, 30प्र0, प्रयागराज।
2. संबंधित मण्डलायुक्त, 30प्र0।
3. संबंधित जिलाधिकारी, 30प्र0।
4. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ, 30प्र0।
5. नगर आयुक्त, नगर निगम, सहारनपुर।
6. संबंधित अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत, उत्तर प्रदेश।
7. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षक, 30प्र0, प्रयागराज।
8. वित्त (व्यय नियंत्रक) अनुभाग-9/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, 2
9. गार्ड फाइल/कम्प्यूटर सेल को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु।

Digitally Signed by कल्याण
वनजी

Date: 30-01-2024 16:53:09

Reason: Approved
कल्याण वनजी,

संयुक्त सचिव।